भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1233

09 फरवरी, 2017 को उत्तर के लिए

खनन कंपनियों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी पर सेवा कर

1233. श्री एम. चन्द्राकाशीः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा यथाप्रस्तावित वर्ष 2016-17 से संसाधनों के उपयोग हेतु खनन कंपनियों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी पर सेवा कर लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) खनन क्षेत्र में खनन कंपनियों और उनकी उत्पादकता पर अतिरिक्त कर का कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) उक्त कर के कारण अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का किस सीमा तक दबाव पड़ा है और आम आदमी पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

खान, विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 01.04.2016 से सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यापारिक संस्था को दी गई सेवाएं कर के दायरे में हैं । इस प्रकार, सरकार द्वारा रॉयल्टी के रूप में प्रतिफल के लिए खान के अधिकार सौंपना 01.04.2016 से कर के दायरे में आ गया है ।

(ख) : खनन कंपनियों पर कोई अतिरिक्त कर भार नहीं है क्योंकि खनन कंपनियां ऐसी सेवाओं पर देय सेवा कर के इनपुट कर क्रेडिट पाने की हकदार होंगी ।

(ग) : उपर्युक्त भाग (क) एवं (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

*****